

मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2001 सत्र

वैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2001 (पौष 26, 1922)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रह्लादकर

पृथक्कल: विवरित सूची में समिलित पश्च पृष्ठे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुख्याराम, वाणिज्यक कर मंत्री, वाणिज्यक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-३-३२-९४-विक-पांच (७०) का शुल्क पत्र क्रमांक ए-३-३२-९४-विक-पांच (६९), दिनांक ३० अगस्त, 2000 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रत्नेश सोलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार-

(क) वेदी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का दिनांक ३० जून, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रलिखेन, तथा

(ख) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का बद्यातीसवां वार्षिक प्रलिखेन वर्ष 1998-99 (दिनांक १ जुलाई, 1998 से^{३०} जून, 1999 तक)

पटल पर रखेंगे।

3
3.
3. अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र निर्णायित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष विनांकों के प्राह्लादकरों का संकलन तथा उन्हीं सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

4. नियम 267-के अधीन अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विदेशकों की सूचना।

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण।

(1) श्री बाबूलाल गोर, सदस्य, इंदौर स्थित रुचि सोया इन्डस्ट्रीज में अग्निकाण्ड से श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रभाकर सिंह, सदस्य, बाणसागर की मुख्य नहर के बलिग्रस्त होने से विद्युत उत्पादन कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उन्हीं मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. सभापति तालिका की घोषणा।

8. राज्यपाल के अधिभाषण पर छीधरी राकेश सिंह, सदस्य, द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2001 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :

“राज्यपाल ने जो अधिभाषण विद्या उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में सम्बोधन सदस्यगण अनुपन्त कृतज्ञ है।”

के.पी. सिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

भोपाल :

दिनांक : 15 जनवरी, 2001